

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक AJMER , राजस्थान

क्रमिक 350

दिनांक 20/6/24

सवित्र

प्रकाश समिति

NEERJA MODI SCHOOL

विषय - राजस्थान नैसर्गिकी शैक्षिक संस्था (सांख्यिक, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता कम्प्लेजिटी एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

अपेक्षित अपेक्षित क्रमांक 47785 और इस संख्या में संलग्न विद्यालय के साथ किये गए पत्राचार पर पर्यवेक्षण निरीक्षण के संदर्भ में, NEERJA MODI SCHOOL, VILLAGE CHACHYAWAS DISTT AJMER जाम पंचायत/ शाही स्थानीय तहसील CHACHYAWAS ब्लॉक AJMER RURAL अलाहाबाद (पूर्व-पश्चिम) जिला (दक्षिण) NA संसाधन NA को शैक्षिक वर्ष 2024-25 में विदेशांतरण, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन विद्यमान मान्यता हेतु प्रेषित है -

संयोजकता	
पूर्व संयोजकता का अनुसरण विद्यालय को क्या है	Primary with Upper Primary (1-8)
विद्यालय की नवीन कम्प्लेजिटी क्या है	Pr. with Uo.Pr. with soc. Only (1-10)
विद्यालय संयोजकता वर्ष में क्या 5 के साथ प्रकाश 10 संयोजकता अंतर्गत प्रेषित है	No
संयोजकता का माध्यम	English


Sonal
PRINCIPAL
NEERJA MODI SCHOOL
CHACHYAWAS, AJMER

[Signature]
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

[Signature]
Chairman
Neerja Modi School
Chachiyawas, Ajmer


माध्यम कोड : RAJMS3947

1. विद्यालय के नवीन सम्बन्ध / क्रमोपेक्षा के आदेशों को सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी। शैक्षणिक इकायों पर भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र को सम्बन्ध में संस्था संकलन की जिम्मेदारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां कर्जाधीन प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, सहस्रीतदाय कर्जाधीन, उपग्रह कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं निश्चयानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संभालन करे।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन, महत्वका अनुदान और चेक पोस्ट आदि) नियम, 1993 को उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को सम्बन्ध में विद्युत् और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विद्युत् और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2013 को उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा सम्पन्नता पर प्रस्तुत निम्नलिखित/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा तथा उचित सुनवाई/अनुमति/अतिरिक्त उपपत्रक करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण को समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) पर किसी प्रकार की नवीन कार्य करने पर मान्यता समिति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के माध्यम से सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रदि को बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बन्धित हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन में अनुरोध करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/अनुभव/सम्बन्ध परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जायेंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी स्तर में कक्षाएं चालना करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस स्तर में कक्षाएं संचालित नहीं होने पर मान्यता खत्म हो करवायी जायेगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोपेक्षा होने पर मान्यता को खत्म में ही कक्षा 9 को साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकेगी है, जब 19वीं स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में सम्बन्धित किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय को निरस्त मान्यता, क्रमोपेक्षा कपिरु तिरु करने की कार्यवाही की जायेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of Improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय को नाम में हरनमनना, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं अन्य संकेत/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यार्थी नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जाये, यदि विद्यालय को नाम में उक्त का अंकन है तो संसद/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु अलग से नोट में अवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय, अजमेर
 (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

प्रतिरूप निम्नलिखित को सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा (ग्राम-5) विभाग, शासन सचिवालय, अजमेर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास नगर, सहस्रीतदाय कार्यालय, उपग्रह कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिनिधि प्रेषित कर विवेकानंद है कि संस्था / विद्यालय भूमि को भूस्वाम्यसूचना को सम्बन्ध में प्रकृतित विभागीय सर्वे का स्वयं के स्तर पर प्रवेश कर निश्चयानुसार कार्यवाही करे।
5. टिकित परावर्ती।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर


 PRINCIPAL
 NEERJA MODI SCHOOL
 CHACHHAWAS, AJMER


 Chairman
 Neerja Modi School
 Chachiyawas, Ajmer